**FORM NO. III**

# फर्द अहकाम

## (नियम 26)

**अज अदालत** सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप जिला–फलोदी

**राधा वगैरा.** **बनाम** **जंगीर वगैरा**

**किस्म मुकदमा** 152 सी.पी.सी. **मु.नं.** 2024/425 **सन**............

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.11.2024 | प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पर आज ही बहस सुनी जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि ग्राम बाप के खसरा नंबर 1864 व 1924 में रास्ते की घोषणा हेतु प्रार्थना पेश किया था। उक्त वादग्रस्त भूमि की प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित खसरान् से रास्ते हेतु इस्तदुआ चाही थी लेकिन निर्णय टंकण करते समय खसरा नम्बर 1864 रकबा 8.4255 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते हेतु अवाप्ती रकबा 0–13 बीघा भूमि भूल से टंकण करने से रह गया। इसलिए उक्त निर्णय में ग्राम बाप के खसरा नम्बर 1864 रकबा 8.4255 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0–13 बीघा भूमि रास्ते हेतु घोषित करने का संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वाद के निर्णय में सेवन से ग्राम बाप के खसरा नम्बर 1865 रकबा 8.4255 हैक्टेयर में से 0–13 बीघा व खसरा नम्बर 1924 रकबा 6.1188 हैक्टेयर में से 0–14 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 1865 रकबा 8.4255 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1924 रकबा 6.1188 हैक्टेयर में से कुल रकबा 0–14 बीघा टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।<br><br>**आदेश**<br><br>अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 14/2023 अनवान राधा बनाम जंगीर वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम बाप के खसरा नम्बर 1865 रकबा 8.4255 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1924 रकबा 6.1188 हैक्टेयर में से कुल रकबा 0–14 बीघा के स्थान पर ग्राम बाप के खसरा नम्बर 1865 रकबा 8.4255 हैक्टेयर में से रकबा 0–13 बीघा व खसरा नम्बर 1924 रकबा 6.1188 हैक्टेयर में से 0–14 बीघा पढा व [illegible] रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] साथ नत्थी हो।<br>निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इज[illegible] सुनाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Sukha Ram Pindel<br>Date: 2025.09.23 14:15:48 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>06.11.24<br>(सुखाराम पिण्डेल,R.A.S.)<br>सहायक कलक्टर<br>बाप (फलोदी)<br><br>सहायक कलेक्टर<br>बाप (फलोदी) | |